

सेवा में,

श्री विन्ध्याचल शुक्ल पुत्र श्री उमाकान्त शुक्ल
अनुक्रमांक-42080497
निवासी-ग्राम बूढ़ा पो0 ककरहबा बाजार थाना मोहाना
जनपद सिद्धार्थनगर 272206

Part-⑥


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट दायिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


2-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ज्ञान प्रकाश सिंह पुत्र श्री श्याम नारायणा सिंह

अनुक्रमांक-462290277

निवासी-ग्राम नाउदाड़ पो0 व थाना लालगंज

जनपद बस्ती 272171

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पजीकृत होने, प्रशिक्षण में अग्रगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अग्रगमन पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने अग्रगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रतर दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मारूफ आलम पुत्र श्री शाहआलम

अनुक्रमांक-476220240

निवासी-ग्राम बसडिलिया पो0 हल्लौड थाना डुमरियागंज

जनपद सिद्धार्थनगर 272191

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तर्ग्रे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 नोट्स एडवांस, पहचान के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


2-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगमन प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री केशव देव पुत्र मेही लाल

अनुक्रमांक-445120037

निवासी-ग्राम व पो0 अमरौली सुमाली थाना सोनहा

जनपद बस्ती 272190

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पी.ए.सी. सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी, तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटीरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश मिश्र
अनुक्रमांक-476210511
निवासी-ग्राम रानीपुर पो0 शनिचरा बाजार थान घनघटा
जनपद सन्तकबीरनगर 272162


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उरुका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राम नयन

अनुक्रमांक-476190106

निवासी-ग्राम अम्मादेई पो0 गायघाट थाना महुली

जनपद सन्तकबीरनगर 272176

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानजुडीशियल न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-संस्थान प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री मिथलेश कुमार

अनुक्रमांक-417030368

निवासी-मोहल्ला सराय गुरगवा पो0 व थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर 242307

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परियाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान नें निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सचिन कुमार मिश्र पुत्र श्री राजेश कुमार मिश्र

अनुक्रमांक-417030541

निवासी-मोहल्ला आदर्शनगर कालोनी रौजा जंक्शन पो0 व थाना रौजाजंक्शन

जनपद शाहजहाँपुर 242307

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अमेन्द्र कुमार गंगवार पुत्र श्री तोताराम गंगवार

अनुक्रमांक-424070568

निवासी-ग्राम इनायतपुर पो0 धौरेरा थाना नवाबगंज

जनपद बरेली 262406

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोप्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगमन प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सिद्धार्थ पुत्र श्री बदन सिंह

अनुक्रमांक-424010318

निवासी-ग्राम व पो बड़ागाव थाना सिरौली

जनपद बरेली 243303

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आमनन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनुमरी पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये, यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अंतिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11/(उ0नि0ना0पु0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रियाजुद्दीन पुत्र श्री नवी अहमद
अनुक्रमांक-424020426
निवासी-कस्बा व पो0 सैथल मुहल्ला चिरागनगर थाना हाफिजगंज
जनपद बरेली 262407


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया: 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


7-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अधिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शाहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सौरभ गंगवार पुत्र श्री नन्हेलाल गंगवार

अनुक्रमांक-437160021

निवासी-ग्राम वा पो0 शाही थाना जहानाबाद

जनपद पीलीभीत 262001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग प्रतीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करके तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उक्त प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है; कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री रविकान्त गिरि गोस्वामी पुत्र श्री मुन्ना गिरि गोस्वामी

अनुक्रमांक-423050537

निवासी-ग्राम बगडैर पो0 हिरौनी थाना धनारी

जनपद सम्मल 243722

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग संजीकृत होने, प्रशिक्षण में अगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 के साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रार्थना का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अप्रेतर दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री वरुण कुमार सिंह पुत्र श्री नरेश चन्द सिंह

अनुक्रमांक-423010192

निवासी-ग्राम आमगाव पों0 मो0नगर सुरला थाना सिविल लाइन्स

जनपद बदायूं 243601

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा; यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपरध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश;

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बदायूं को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रति क दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है; कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11|(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री नईम अख्तर पुत्र श्री बसीर अहमद

अनुक्रमांक-437160259

निवासी-मकान न0 649 मोहल्ला शेर मोहम्मद(इस्लामनगर कालोनी)

निकट अल्लाह हू का मजार थाना कोतवाली पीलीभीत

जनपद पीलीभीत 262001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिपाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश;

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत को उक्त निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूदनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्थ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जेटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्त प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री योगेश सिंह सेंगर पुत्र सुभाष चन्द्र सिंह
अनुक्रमांक-412060708
निवासी-ग्राम-गुडहा पोस्ट झम्मनपुर रामपुर
जनपद जालौन पिन-285124

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रांतीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विवेक त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्र मोहन त्रिपाठी
अनुक्रमांक-412060889
निवासी-ग्राम-मोहल्ला सरफियाना ताल बेहट थाना तालबेहट
जनपद ललितपुर पिन-284126


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मरमनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अरुण कुमार पुत्र श्री स्वामी प्रसाद
अनुक्रमांक-418040166
निवासी-ग्राम-खरकामऊ थाना लईचुउरा
जनपद झांसी पिन-472442

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मजिनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री फारूख खान पुत्र फजल खान
अनुक्रमांक-418030215
निवासी-ग्राम-व पोस्ट पोछा भांवर थाना नवाबाद
जनपद झांसी पिन-284001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल
अनुक्रमांक-412060832
निवासी-ग्राम-व पोस्ट कुम्हैड़ी थाना महारौनी
जनपद ललितपुर पिन-284405

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (635 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 635 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के नध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपरअ/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आम्नद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र स्व0 एस0एन0 सिंह

अनुक्रमांक-412060732

निवासी-ग्राम-मेमोरियल स्कूल पुलिस फायर बिग्रेड के सामने बघौरा थाना कोतवाली उरई

जनपद जालौन पिन-285001

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020.

सेवा में,

श्री गंभीर सिंह पुत्र सुरज प्रसाद
अनुक्रमांक-412040250
निवासी-ग्राम-हथनौरा पोस्ट महेवा थाना चुरखी
जनपद जालौन पिन-285211


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री उमेश कुमार वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा
अनुक्रमांक-418010289
निवासी-ग्राम-चिपलौहठा बरूआ सागर थाना बरूआ सागर
जनपद झांसी पिन-284201

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्राथमिक न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भगवान दास
अनुक्रमांक-418020134
निवासी-ग्राम-नि0 445 कृष्णानगर कालोनी सूरदास मन्दिर के पास खेरा
पोस्ट गढ़ियागांव थाना प्रेमनगर
जनपद झांसी पिन-284003


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2018 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री भगवती प्रसाद पुत्र प्रतापनारायन

अनुक्रमांक-418060198

निवासी-ग्राम-टिकरी पोस्ट रतौसा वाया रानीपुर थाना मऊरानीपुर

जनपद झांसी पिन-284205

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री छत्रपाल पुत्र जगतपाल

अनुक्रमिक-418020469

निवासी-ग्राम-लोहरगांव पोस्ट धवारी थाना टोड़ी फतेहपुर

जनपद झांसी पिन-284202

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग प्रतीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री संजय कुमार पुत्र लखू बाल्मीकि

अनुक्रमांक-418020217

निवासी-ग्राम-न्यू हरिजन कालोनी ब्लाक अस्पताल के पीछे

बबीना कैण्ट थाना बबीना

जनपद झांसी पिन-284401

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमरा: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में

श्री महेंद्रपाल पुत्र मजानगल

अनुक्रमिक-418020480

निवासी-ग्राम-ब पोस्ट अमला थाना गुरुसराय

जनपद झांसी पिन-284002

विषय:-

उपनिवेशिक नॉटिस नं. 11370/2018 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलांक कमिश्नर सिविल व अन्य में मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ.नि.श. नॉटिस नं. 2011 के अन्तर्गत स्थानित उपनिवेशिक नॉटिस नं. 70/नि.श.10/पु. के पद पर पर स्थानित 70 अस्थायी तथा 70/नि.श.10/पु. के पद पर पर स्थानित 537 (जो अनुपस्थित, अनुपस्थित, अधिवृत्त, अधिवृत्त, अधिवृत्त) का कारण मानी गयी (नोटिफिकेशन) एवं 226 अन्तर्गत पदां साहित्य कूल-8333 पदां के सापेक्ष 769 (685 एवं 84 वार्डन कमण्डर) का स्थान परमाणु 30X0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बॉर्ड, लखनऊ के पद पर स्थानित अस्थायी में से उपयुक्त अस्थायी को आभारपूर्वक प्रेषित करायें जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रेषित निर्देशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-प-332-2019(पु.स.आई प्रेषित) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित स्थानित उपनिवेशिक नॉटिस नं. 70/पु. के पद पर पर स्थानित वी.सि. प्रेषित करायें जाने हेतु प्रेषित स्थान आवांति कर आभारपूर्वक प्रेषित करायें जाने हेतु पुलिस प्रेषित निर्देशालय, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में दिनांक 16-03-2020 से कयायें जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवांति प्रेषित स्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां, फोटो आइडेंटिफिकेशन एवं पंजीयन संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/क्या 4000 में स एडवांस, पहचान के पत्र, विवर आदि लेकर जायें तथा इन्हें प्रेषित स्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कराना होगा। यदि आप प्रेषित प्राप्त की तिथि से एक माह के अन्दर प्रेषित हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका स्थान/अस्थान निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-1 एवं 2 से कथना: क 32/- एवं 42/- के नानवर्कडिग्रेडिड स्टाफ पर पर अधिकतम करायें तथा नोटिफिकेशन से सम्बन्धित करायें प्रमाणपत्र अपने साथ लेकर आवांति प्रेषित स्थान को प्रस्तुत करयें। इसके आतिरिक्त प्रेषित निर्देशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करयें। प्रेषित स्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा। प्रेषित के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करयें। इस प्रेषित हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रेषित तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही स्थान प्रेषित के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में स्थानित निर्णय सिविल अपील नं. 11370/2018 में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिदेशक, अपराध/क्रिमिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिनिधि- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उत्तर अस्थायी को प्रेषित में शामिल करने हेतु अपने स्तर से स्थानित करयें एवं इस पत्र की एक प्रतियां उस इस्तेमाल करायें प्रेषित प्रतियां पर पर उसके प्रतियां को दिनांक 16-03-2020 से प्रेषित प्रेषित में शामिल करयें ताकि वे उचित सूचनाएं एवं तबत कार्यवाही हेतु

प्रतिनिधि-संख्या प्रमुख पुलिस प्रेषित निर्देशालय, मुख्यालय, उत्तर अस्थायी को उत्तर अस्थायी की मूल प्रतियां संलग्न कर आभार प्रेषित हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि प्रतियां पर उपरोक्त अस्थायी की फोटो/प्रमाणपत्र से उसके मिलान करा लिया जायें। यदि किसी प्रकार की कोई भ्रम/प्रतिकूलता पाई जायें तो उत्तर अस्थायी को आभार प्रेषित स्थान में न किया जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें एवं आभार प्रेषित निर्देश प्रेषित कर आभार प्रेषित की जायें।

संलग्नक-मूल प्रतियां (समस्त अस्थायी सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री धीरज कुमार पुत्र श्री किशनलाल
अनुक्रमांक-418010369
निवासी-ग्राम-आरबीआई 658(सी) रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कालोनी
सीपरी बाजार थाना प्रेमनगर
जनपद झांसी पिन-284003


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री पुत्तू लाल
अनुक्रमांक-412040217
निवासी-ग्राम-ब पोस्ट रेडर थाना रेडर
जनपद जालौन पिन-285123

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, जालौन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री जयकुमार पुत्र घासीराम वर्मा
अनुक्रमांक-418020096
निवासी-ग्रामव पोस्ट हैबतपुरा थाना गरौठा
जनपद झांसी पिन-484001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।।(उ0नि0सी0ष0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम

अनुक्रमांक-418020121

निवासी-ग्राम-मु0अशोक नगर पोस्ट मोठ थाना मोठ

जनपद झांसी पिन-284303

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में ज्ञाननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री पंकजदेव पाण्डेय पुत्र श्री दिवाकर देव पाण्डेय
अनुक्रमांक-423180294
निवासी-ग्राम करेला थाना मुरवा
जनपद सिगरौली (मध्य प्रदेश) पिन-486892

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रत्नेश कुमार मौर्य पुत्र हर्षनाथ मौर्य

अनुक्रमांक-47190315

निवासी-ग्राम हैबतपुर पो0 रामपुर थाना मधुबन

जनपद मऊ पिन 221602

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजीत कुमार यादव पुत्र श्री हरिनाथ यादव
अनुक्रमांक-47190111
निवासी-ग्राम चकमेहदी पो0 मऊनाथ मंजन थाना सरायलखन्सी
जनपद मऊ पिन 275101

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में साननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अवधेश कुमार यादव पुत्र श्री कामता यादव

अनुक्रमांक-471110590

निवासी-ग्राम गोविन्दपुर पो0 व थाना बासडीह रोड

जनपद बलिया पिन 277203

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री संतोष कुमार चौरसिया पुत्र जनार्दन चौरसिया

अनुक्रमांक-47140294

निवासी-ग्राम परसिया पो0 सबन थाना गडवार

जनपद बलिया पिन 277123

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2019 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनीश कुमार यादव पुत्र श्री रामबचन यादव

अनुक्रमांक-47190339

निवासी-ग्राम चेरुईया पो0 कोपागंज थाना कोपागंज

जनपद मऊ पिन 275305

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेदा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण भानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0ना0पु0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनूप कुमार यादव पुत्र श्री बीरबल यादव

अनुक्रमांक-47140512

निवासी-ग्राम व पो0 उचेड़ा चिलकहर थाना फेफना

जनपद बलिया पिन 221701


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कैलाश यादव पुत्र श्री पुरुषोत्तम यादव

अनुक्रमांक-47180007

निवासी-ग्राम अकोहली मुबारकपुर पो0 बीबीपुर थाना घोषी

जनपद मऊ

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार

अनुक्रमांक-423090234

निवासी-ग्राम-म0नं0-538 गली नं0-11 लज्जापुरी चमरी रोड हापुड़

जनपद-हापुड़-245101

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग संजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारम्भ एवं 2 से कमरा: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा निर्णय तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-111(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राहुल करन सिंह पुत्र श्री करन सिंह

अनुक्रमांक-453080142

निवासी-ग्राम-बी-306 संजय बिहार आवास विकास मेरठ रोड़ थाना हापुड़

जनपद-हापुड़-245101

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेदा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्रिट) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उचयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शपथ पत्र अपन साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री लोकेश कुमार शर्मा

अनुक्रमांक-453020517

निवासी-म0नं0 214 गली नं0-3 रोशन बिहार पूर्वी सादतपुर

जनपद उत्तर पूर्वी दिल्ली-110094

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-11-175/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटों/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अत्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अत्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रिन्कू कुमार पुत्र श्री मुनेश कुमार

अनुक्रमांक-453080148

निवासी-ग्राम-हैदर नगर मंगोला पो0 मंगोला थाना हापुड़

जनपद-हापुड़-245304

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अशोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सम्प्रेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की सनस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायमलय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंकुर चौधरी पुत्र श्री मनवीर सिंह

अनुक्रमिक-453010109

निवासी-ग्राम-व पो0 भरना थाना सिम्मावली तह0 गढमुक्तेश्वर

जनपद-हापुड़ -245207

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण ढींच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-09-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं कल अपने आगमन की तूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1, 2 से कमरा: रु 32/- एवं 42/- को नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

2-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, आराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सूचना तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री मिनू सिंह

अनुक्रमांक-439130446

निवासी-ग्राम-मौलाबाद माजरा पो0 छायासा थाना सिंकन्दराबाद

जनपद-बुलन्दशहर-203205

विषय:-

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपस्थित, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपन साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की सनस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विपिन कुमार ओझा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार ओझा

अनुक्रमांक-414150733

निवासी-ग्राम दाण्डूपुर पड़ाम पो0 साहबगंज थाना लालगंज

जनपद प्रतापगढ़ 230137


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किये जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पोच-11/(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर यादव पुत्र श्री प्रेमनारायण यादव

अनुक्रमिक-429060215

निवासी 285 करुवाडीह पो0 प्रतापुर थाना फूलपुर

जनपद प्रयागराज 212402

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपी:बी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश;

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

मो0 अहमद सिद्दीकी पुत्र मो0 समीम सिद्दीकी
अनुक्रमांक-429080382
निवासी-201 ए/3बी चकनी रातुल थाना खुल्दाबाद
जनपद प्रयागराज 211016


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नती गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अटगत् कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जोटेग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटगत् कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश कुमार यादव

अनुक्रमांक-429070596

निवासी-ग्राम भिउरा पो0 सैदाबाद थाना उतराव

जनपद प्रयागराज 221508

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग संजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एट प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर साथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे; इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अशोक कुमार यादव पुत्र गनेश प्रसाद यादव

अनुक्रमांक-429100521

निवासी-ग्राम जुगुनीडीह पो0 सिकन्दरा थाना बहरिया

जनपद प्रयागराज 212109

विषय:-


उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में रिटिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीष न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किटा जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री लवकुश कुमार पुत्र श्री कमल किशोर

अनुक्रमांक-429010883

निवासी-सलेमपुर उर्फ कमईपुर पो0 अठरामपुर(मसिनी)थाना होलागढ़

जनपद प्रयागराज 229412

विषय -

उपनिरीक्षक न0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में न0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0न0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0न0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0न0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उत्सुक मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री बिजय कुमार सिंह पुत्र श्री संतलाल सिंह
अनुक्रमांक-429070170
निवासी-ग्राम पियरी पो0 महुली थाना कोरांव
जनपद प्रयागराज 212306

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मनी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में:

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री नीरज सिंह पुत्र श्री सुधीर सिंह

अनुक्रमांक-462090312

निवासी-ग्राम व पो0 नरसिंहपुर कबरहा थाना घाता

जनपद फतेहपुर 212641

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/त्रुटिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री शम्भूनाथ
अनुक्रमांक-429040283
निवासी-ग्राम महटीकर पो0 आराकला थाना उतराव
जनपद प्रयागराज 221508


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य नें मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कनश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जेटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री उदयमान पुत्र श्रीराम कुमार

अनुक्रमांक-465180027

निवासी-ग्राम व पो0 महना थाना ललौली

जनपद फतेहपुर 212661

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में म० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचना:र्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रेतर दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टायर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री शिव कुमार पुत्र श्री मूल चन्द्र
अनुक्रमांक-429030388
निवासी-ग्राम प्रसिद्धकापुरा पो0 फाफामउ थाना सोरांव
जनपद प्रयागराज 211013


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मन्ती गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में जोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिश निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कमलेश कुमार सरोज पुत्र श्रीराम सरोज

अनुक्रमांक-414140417

निवासी-ग्राम पूरेशीतल भावन पुर पो0 डेरवा थाना जेतवारा

जनपद प्रतापगढ़ 230128

विषय-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे; इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्नीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तद्विषयक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र श्री भैयालाल
अनुक्रमांक-429110630
निवासी-दरियापुर जीता पो0 कड़ा थाना सैनी
जनपद कौशाम्बी 212205

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री लालजी विद्यार्थी
अनुक्रमांक-429010277
निवासी-136/104 नयापुरा स्टैनली रोड थाना शिवकुटी
जनपद प्रयागराज 211002


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी, भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0पु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मामनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनाएं एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिश निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री सन्तोष कुमार कैथल पुत्र श्री रामनाथ कैथल

अनुक्रमांक-462100131

निवासी-927 राधानगर पुलिस चौकी के पास पश्चिम गली नई बस्ती

थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर 212601

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अजील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयीं रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सम्प्रेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटों/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मामनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पाँच-11/(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री उमाशंकर कनौजिया पुत्र श्री यज्ञनारायण कनौजिया

अनुक्रमांक-480040454

निवासी-ग्राम चनेधू पो0 जंघई बाजार थाना सराय ममरेज

जनपद प्रयागराज 212401

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण मानी गयीं सिक्ति) एवं 226 अनन्य पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 का साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर अदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रांतीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री छेदू

अनुक्रमांक-462060407

निवासी-ग्राम रमपुरवा पो0 व थाना घाता

जनपद फतेहपुर 212641

दिष्ट:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सपेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अग्रेतर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0भ0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री भारत लाल
अनुक्रमांक-429120079
निवासी-ग्राम व पो0 पट्टी परवेजाबाद थाना कोखराज
जनपद कौशाम्बी 212203


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अग्रगण्य न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


2-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री विमलेश कुमार पुत्र विशुन विशाल

अनुक्रमांक-441010203

निवासी-ग्राम व पो0 कोराई थाना मलवां

जनपद फतेहपुर 212601


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएस्सी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण, मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


2.3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्थ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री रामू पुत्र श्री मुन्ना लाल

अनुक्रमांक-462100168

निवासी-ग्राम सराय खालिस पो0 टीकर थाना असोथर

जनपद फतेहपुर 212620

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएस्सी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नहीं गयी, रिक्ति) एवं 226 अन्तरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


2-3-20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता जाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-1।(उ0नि0सी0म0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंकुर मलिक पुत्र श्री प्रदीप कुमार

अनुक्रमांक-474150079

निवासी-ग्राम व पो0 कोडाना (झाका पट्टी) थाना शामली

जनपद शामली 247776

विषय:-

उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्भरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नाननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

3.20
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशः निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री मनीष कुमार पुत्र नथू सिंह
अनुक्रमांक-474130283
निवासी-ग्राम व पो0 काशमपुर पटेड़ी थाना छपार
जनपद मुजफ्फरनगर 251307

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अनियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया: 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में सम्मन्वी न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से ज्वलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सुमित कुमार पुत्र श्री जयवीर सिंह
अनुक्रमांक-474110686
निवासी-ग्राम व पो0 बेहड़ा आस्ता थाना सिखेड़ा
जनपद मुजफ्फरनगर 251314


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सातों काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचना एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010
संख्या:पॉच-11।(उ0नि0सी0म0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह

अनुक्रमांक-474110285

निवासी-ग्राम वुटराडी पो0 काण्डौर थाना शामली

जनपद शामली 247776


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अच्युतित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी, रिक्ति) एवं 226 अनभरने पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वार उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार
अनुक्रमांक-474340194
निवासी-ग्राम दैदनौर पो0 मच्छरहेड़ी थान नकुड़
जनपद सहारनपुर 247001


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् भेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सत्य काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मामनीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


 पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अनिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री रोहित कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार
 अनुक्रमांक-474140296
 निवासी-ग्राम व पो0 खेड़ी करमू थाना शामली
 जनपद शामली 247776


विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को समय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कर, कर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्दीर न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार
अनुक्रमांक-474250055
निवासी-ग्राम कपुरी गोविन्दपुर पो0 मंझौल थाना देवबन्द
जनपद सहारनपुर 247554

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीअरपीडी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को समय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के नध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई निम्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, वसुधैतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-111(उ0नि0सी0भ0-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विनित कुमार पुत्र श्री चन्द्र सिंह
अनुक्रमांक-474250095
निवासी-ग्राम चौरा पो0 व थाना नानौता
जनपद सहारनपुर 247452

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् वेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मातृनीय न्यायालय में दायित्व विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्दरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)